

प्रेषक

निदेशक,
कारिगरी एवं उद्योग विभाग,
केंद्र, रावली बाग, दिल्ली-110006

प्रेषण में

सहायक निदेशक,
राज्यीय कारिगरी आयोग, संस्थान केन्द्र,
रावली बाग,
दिल्ली-110006

पत्रांक

1625 टी-3/रा090/रा090संस्कृति

संलग्नक - दिनांक

4-8

विषय

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/व्यवसायियों का स्थानीय स्तर पर प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशक, संस्थान एवं इंजीनियरिंग कौशल विकास विभाग, दिल्ली में प्रेषित रिपोर्टों द्वारा किये गये निर्णय की सूचना के संबंध में।

संदर्भ

संदर्भित विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बंधित स्थायी समिति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20-07-2010 को महा निदेशक, संस्थान एवं इंजीनियरिंग कौशल विकास विभाग, दिल्ली में राष्ट्रीय व्यवसायिक-प्रशिक्षण परिषद् की तय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उस समिति द्वारा आपके संस्थान सम्बंधित तत्काल निरीक्षण रिपोर्ट को बारे में जो निर्णय लिया गया है उसका उद्धरण व्यवसायिक नीचे अतिरिक्त किया जा रहा है -

क्रम क्रम	व्यवसाय/एकके दिनकी लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संकेत का प्रस्तुति किया गया।	संस्कृति की गरी		अनुमति
		स्थायी समिति द्वारा	इंजीनियरिंग द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	w.e.f Aug.2
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
3-	Copa 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
4-	Fashion Technology 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/150/2010 -TC

DATED 30/07/2010

प्रयोग किये गये सकते-

- (1) एन0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0आई0आर0-पूरा निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) सी0आई0आर0-देशीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारधारा
- (5) एन0आर0-संस्कृति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतार्ई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयावधि में अपनी आस्था विद्युत् सार्वजनिकी परिषद में इस निदेशक को अविलम्ब प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त केंद्र की तय करें।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आपका आ भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

अपर निदेशक (आई/सि) संस्कृति विभाग

पत्रांक 1625 टी-3/रा090/रा090संस्कृति/ प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य निदेशक (प्रशिक्षण/सि) बनारस को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विषय पर विशेष ध्यान तथा सम्बंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. सम्बंधित संस्थान/केंद्र की वांछित पत्रावली हेतु।
3. गाई फाइल हेतु।
4. सप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद अलीगढ़, तखनऊ।

(संस्कृति विभाग) अपर निदेशक (आई/सि)

Principal,
Chaudhary Ramhit I.T.I
H. Gauri, Barwi (Ch.tra)

